भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1098

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आरएएन अम्ब्रेला योजना

†1098. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि गरीब मरीजों को इलाज में मदद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की घोषणा के बाद राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन), आरएएन अम्ब्रेला योजना और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत सभी अनुदान रोक दिए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत पूरे देश में श्री चित्रा सहित केवल 14 अस्पतालों को मंजूरी दी गई थी और 50 लाख रुपए अग्रिम देने और नवीनीकरण करने की व्यवस्था अब बंद हो गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि 1,400 रुपए प्रति माह से कम कमाने वाले कई गरीब मरीज

ऑनलाइन आरएएन का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि अस्पताल इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और मरीजों को सूचित करने के लिए कोई नोटिस नहीं लगाया जा रहा है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि श्री चित्रा जैसे अस्पताल, जिनके पास आरएएन समितियां और ऑनलाइन अनुमोदन प्रणाली हैं, वित्तीय सहायता देना जारी रख सकें?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन), आरएएन अम्ब्रेला योजना और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) के अंतर्गत अनुदानों को बिना किसी रुकावट के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की घोषणा के बाद भी, निर्धन रोगियों के उपचार में सहायता के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों तरीकों से सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाता है।

(ग) और (घ): दिनांक 01.06.2021 को राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की अम्ब्रेला योजना, स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) योजना के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के आईटी प्लेटफॉर्म में शामिल की गई थी। तब से, आरएएन/एचएमडीजी योजनाओं के ऑनलाइन कार्यान्वयन के लिए 108 अस्पतालों/संस्थानों को इस प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया गया है।

₹50 लाख के अग्रिमों के प्रावधान और नवीनीकरण के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि व्यक्तिगत अस्पताल-आधारित परिक्रामी निधि खाता प्रणाली को मूल-सहबद्ध लेखांकन प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। एम्स, नई दिल्ली द्वारा संचालित एक निर्दिष्ट बैंक खाता मूल खाते के रूप में कार्य करता है, जिसमें इस मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति आदेशों के माध्यम से निधियां स्थानांतरित की जाती है। यह मूल खाता संबंधित अस्पतालों द्वारा बनाए गए सहबद्ध खातों से जुड़ा होता है। एनएचए के आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संसाधित आरएएन/एचएमडीजी योजनाओं के तहत रोगी उपचार के लिए वित्तीय सहायता विशेष रूप से इस मूल-सहबद्ध लेखांकन प्रणाली के माध्यम से जारी की जाती है।

(ङ) और (च): जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के आंकड़ों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के आईटी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है, वहां के अंत्योदय लाभार्थी, साथ ही पीएम-जेएवाई के अंतर्गत कवर न होने वाले उपचार की आवश्यकता वाले पीएम-जेएवाई लाभार्थी, ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की अम्ब्रेला योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

इस योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों से सुपरिचित अस्पताल अधिकारी, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनएचए के आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय सहायता के प्रस्तावों पर कार्रवाई करते हैं।

(छ): यह योजना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से क्रियान्वित की जाती है। तदनुसार, संबंधित अस्पताल योजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित निर्देशों और प्रावधानों के अनुसार, जैसा लागू हो, किसी भी माध्यम से पात्र रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रख सकते हैं।

***